न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, राँची।

एस.ए.आर. अपील वाद सं. 162 आर 15/08–09

रघुनाथ सिंह एवं अन्य

बनाम

शनिचरवा उराँव

आदेश

26/3/10

यह अपील वाद SAR वाद सं. 278/05–06 में पारित आदेश दिनांक 15.07.08 के विरूद्ध दायर किया गया है। प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्नवत है–

ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा
हेसल	110	394	1क. 6छ.

निम्न न्यायालय ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71 ए के II nd proviso के अन्तर्गत आवेदक (प्रतिपक्षी) को उसी क्षेत्र में समतुल्य मूल्य की जमीन देने या प्रति कट्ठा 90,000/– (नब्बे हजार) की दर से मुआवजा की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था।

अपीलार्थी का मुख्य रूप से कहना है कि क्षतिपूर्ति की राशि जो निम्न न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई है वह बहुत ज्यादा है। इनका तर्क था कि इसी खाते की भूमि पर विभिन्न दूसरे व्यक्तियों के विरूद्ध एस.ए.आर. वाद दायर किया गया था जिसमें दिनांक 28.12.02 को रूपया 19,000/– प्रति कट्ठा के दर से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान एवं दिनांक 28.09.05 को रूपया 35,000/– प्रति कट्ठा की दर से क्षतिपूर्ती राशि का भुगतान का आदेश निम्न न्यायालय द्वारा किया गया था। इनके द्वारा निम्न न्यायालय का वाद सं. 38/02 में पारित आदेश दिनांक 05.09.2006 का भी उदाहरण दिया गया है जिसमें रू.

Contd....2.

40,000/– प्रति कट्ठा की दर से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान का आदेश दिया गया था। इनका कहना है कि इनके विरूद्ध पारित क्षतिपूर्ति की राशि बगैर आधार के एवं Equity of Law के विरूद्ध है जिसे निरस्त किया जाना चाहिये।

प्रतिवादी का कहना है कि भूमि का मूल्य बढ़ गया है। इनका अनुरोध है कि Current Rate के आधार पर ही भुगतान होना चाहिए।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71 ए को द्वितीय परन्तुक के बिन्दु पर किसी भी पक्ष द्वारा विरोध नहीं किया गया। अपीलार्थी का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि 90,000/– (नब्बे हजार) प्रति कट्ठा अधिक है जबकि प्रतिवादी द्वारा यह निर्धारित राशि को कम बताया गया है तथा वर्त्तमान मूल्य के आधार पर क्षतिपूर्ती राशि निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ग्राम हेसल का वर्त्तमान सरकारी दर रू. 1,35,000/– प्रति कट्ठा से कम नहीं है।

अतः निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए आदेश दिया जाता है कि स्थानीय जॉच कर वर्त्तमान बाजार दर के आधार क्षतिपूर्ती निर्धारित करें। यदि वर्त्तमान दर कम हो तो कम एवं अधिक हो तो अधिक क्षतिपूर्ती की राशि आदेश पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर भुगतान करना सुनिश्चित करें एवं विधि सम्मत अग्रेत्तर कार्रवाई करें।

लेखापित एवं संशोधित,

(ह०) 26/3/10
अपर समाहर्त्ता,
राँची।

(ह०) 26/3/10
अपर समाहर्त्ता,
राँची।

Digitally signed by RAJESH KUMAR BARWAR
Date: 2023.06.16 15:25:35 +05:30
Location: 192.168.2.175